# इकाई 12 अनुवाद और रूपांतरण में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की भूमिका

**इकाई की रूपरेखा**


12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 अनुवाद और रूपांतरण में प्रतिलिप्यधिकार (धारा 13)

12.3 अनुवाद की अनुमति

12.4 नियोजन के दौरान कृत कार्य

12.5 कंप्यूटर प्रोग्राम और अनुवाद

12.6 अनुवाद के लिए लाइसेंस (धारा 30 एवं 32)

12.7 अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेंस

12.8 प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेंस

12.9 लाइसेंस की शर्तें

12.10 प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया

12.11 लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया

12.12 प्रसारण प्राधिकरण और अनुवाद का लाइसेंस

12.13 रूपांतरण का अर्थ

12.14 प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन और दंड

12.15 सारांश

12.16 अभ्यास के लिए प्रश्न

12.17 उपयोगी पुस्तकें


## 12.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई अनुवाद और रूपांतरण में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की भूमिका से संबंधित है। प्रस्तुत इकाई को पढ़ने से अनुवाद अध्ययन में एम.ए. करने वाले शिक्षार्थियों को अनुवाद और रूपांतरण में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की भूमिका की संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि :

- किस कृति में प्रतिलिप्यधिकार होता है;
- अनुवाद और रूपांतरण के संबंध में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी कौन होता है;
- किसी कृति के अनुवाद एवं प्रकाशन के लिए लाइसेंस किससे और कैसे मिल सकता है; तथा
- प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन कब माना जाता है।

## 12.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के विषय में जाना। यह खंड अनुवाद और रूपांतरण में प्रतिलिप्यधिकार कानून की भूमिका से संबंधित है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में अनुवाद और रूपांतरण में प्रतिलिप्यधिकार संबंधी अधिकार भी दिए गए हैं।

प्रतिलिप्यधिकार को आजकल बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Right) के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिलिप्यधिकार का आधार यह है कि कानून किसी व्यक्ति के कौशल, श्रम, समय एवं पूँजी से तैयार किसी वस्तु का अनुमति लिए बिना किसी अन्य व्यक्ति को लाभ उठाने की इज़ाजत नहीं देता। जिस व्यक्ति ने जो कृति अपने परिश्रम एवं कौशल से तैयार की है, उस पर उसी का अधिकार होता है। किसी कृति का रचनाकार उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी होता है। अतः प्रतिलिप्यधिकार कानून का उद्देश्य किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार की रक्षा करना और उसके अतिलंघन पर दंड और जुर्माने की व्यवस्था करना है।

विश्व की भाषाओं में परस्पर आदान–प्रदान में वृद्धि के कारण प्रतिलिप्यधिकार कानून में अनुवाद और रूपांतरण के संबंध में कई नए प्रावधान किए गए हैं। अब किसी कृति के रचनाकार से बिना उसकी अनुमति लिए अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से बिना लाइसेंस लिए किसी कृति का अनुवाद अथवा रूपांतरण नहीं किया जा सकता।

## 12.2 अनुवाद और रूपांतरण में प्रतिलिप्यधिकार (धारा 13)

किसी भी कृति का प्रतिलिप्यधिकार सामान्यतया रचनाकार में निहित रहता है। यहाँ सब से पहले हमें जानना होगा कि वास्तव में कृति का अर्थ क्या होता है, जिसके अनुवाद के लिए रचनाकार अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से अनुमति की जरूरत पड़ती है। चूँकि अनुवाद स्वयं में एक साहित्यिक कार्य है और उसमें प्रतिलिप्यधिकार के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अतः अनुवाद अथवा उसके प्रकाशन के लिए समूचे भारत में निम्नलिखित कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार होता है:

- मौलिक साहित्यिक, नाट्य, संगीत एवं कला कृति
- सिने फिल्म
- ध्वनि निर्माण
- कंप्यूटर प्रोग्राम

यदि कोई सिने फिल्म किसी अन्य कृति के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन कर बनाई गई हो, उसमें प्रतिलिप्यधिकार नहीं होगा। कारण, निर्माता स्वयं उस रचना के क्रम में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम का अतिलंघन कर चुके हैं। उदाहरण से इसे इस तरह स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी कृति के अनुवाद पर आधारित फिल्म यदि कृति के अनुवाद की अनुमति के बिना बनाई गई हो तो उसमें निर्माता के पास प्रतिलिप्यधिकार नहीं होगा। कोई साउंड रिकॉर्डिंग तैयार की जाती है, किंतु उसे बनाने में किसी साहित्यिक, नाट्य अथवा संगीत रचना के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन किया गया है, तो उस ध्वनि निर्माण रचना में भी प्रतिलिप्यधिकार नहीं होगा, अर्थात् जो निर्माता बिना अनुमति के कृति आधारित फिल्म का निर्माण करेगा अथवा ध्वनि निर्माण करेगा, उसमें उसका प्रतिलिप्यधिकार नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उस फिल्म अथवा ध्वनि निर्माण का उसके निर्माता की बिना अनुमति से कहीं प्रयोग करेगा तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं

की जा सकेगी। इसलिए किसी कृति के अनुवाद अथवा रूपांतरण के लिए अनुमति लेने से पहले यह जानना चाहिए कि उस कृति में किसका प्रतिलिप्यधिकार है।

साहित्यिक और नाट्य आदि कृतियों का रचनाकार उनका लेखक होता है। संगीत रचना का रचनाकार उसका संगीतकार होता है। सिने फिल्म का रचनाकार फिल्म निर्माता और ध्वनि रिकॉर्डिंग का ध्वनि निर्माता होता है। दूसरे शब्दों में फिल्म निर्माता या ध्वनि रिकॉर्डिंग निर्माता को उनका लेखक माना जाता है। कलाकृति का रचनाकार उसका कलाकार होता है। जहाँ तक कंप्यूटर जनित साहित्यिक, नाट्य, संगीत अथवा कला कृति का संबंध है, उनका रचनाकार वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करता है।

## 12.3 अनुवाद की अनुमति

उल्लिखित में से किसी कृति अथवा रचना का अनुवाद अथवा रूपांतरण करना हो तो सर्वप्रथम, इस बात का पता लगाना होगा कि उस रचना विशेष का रचनाकार कौन है? यह भी पता लगाने की जरूरत होती है कि किसी कृति विशेष का प्रतिलिप्यधिकार किसके पास है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब किसी लेखक ने किसी कृति में अपने प्रतिलिप्यधिकार के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर दिया हो अथवा अपना प्रतिलिप्यधिकार किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित कर दिया हो अथवा जब लेखक या निर्माता अज्ञात हो अथवा उसकी मृत्यु हो चुकी हो। अतः जब किसी कृति का अनुवाद करना हो या रूपांतरण करना हो, तो उसके लिए विधिवत पहले अनुमति लेना जरूरी होता है। कानूनी अनुमति लिए बिना अनुवाद अथवा रूपांतरण करना प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का अतिलंघन माना जाएगा और अतिलंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

## 12.4 नियोजन के दौरान कृत कार्य

यदि किसी साहित्यिक, नाट्य अथवा कला कृति का लेखन अथवा अनुवाद किसी समाचार पत्र, पत्रिका आदि में प्रकाशन के लिए किया जाता है तो उस समाचार पत्र, पत्रिका आदि के स्वामी के रोजगार में रहकर, तैयार (अनुवाद अथवा रूपांतरण) की गई कृति में प्रतिलिप्यधिकार उस समाचार पत्र, पत्रिका आदि के स्वामी का माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि सेवा के दौरान उस प्रकार का करार होने पर ही वह अधिकार समाचार पत्र, पत्रिका के स्वामी का माना जाएगा अन्यथा प्रतिलिप्यधिकार रचनाकार का ही माना जाएगा। इसके अलावा, समाचार पत्र, पत्रिका के स्वामी का प्रतिलिप्यधिकार केवल उस समाचार पत्र, पत्रिका आदि में प्रकाशन तक ही सीमित होगा।

सरकारी कार्य या किसी अन्य उपक्रम के कार्य का प्रतिलिप्यधिकार सरकार या उपक्रम में निहित होता है। यदि इस बारे में किसी प्रकार का करार हो तो वह प्रतिलिप्यधिकार उस करार के अंतर्गत रचनाकार का होगा।

यदि कोई नाटककार किसी सोसाइटी अथवा संस्था के लिए नाटक लिखता है या उसका अनुवाद करता है, और उसके संबंध में कोई स्पष्ट करार नहीं हुआ होता है तो प्रतिलिप्यधिकार नाटककार अथवा अनुवाद करने वाले अनुवादक में निहित होगा।

यदि कोई अनुवादक अपने कार्यस्थल पर अपने काम के घंटों के दौरान किसी कृति अथवा सामग्री का अनुवाद करता है, तो रोजगार की अवधि के दौरान किए जाने वाले कार्य होने के कारण उन अनुवादों में प्रतिलिप्यधिकार नियोजक में ही रहता है। अनुवादक के कार्य में जिस कृति को तैयार करने में श्रम, कौशल और समय लगता है, उसे साहित्यिक कृति के संबंध में निम्नलिखित अधिकार मिल जाते हैं :

1. अनूदित कृति का पुनरुत्पादन या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संग्रहण करना।
2. अनूदित कृति को सार्वजनिक रूप से जारी करना।
3. अनूदित कृति की सार्वजनिक प्रस्तुति अथवा उसका सार्वजनिक संप्रेषण करना।
4. अनूदित कृति आधारित फिल्म निर्माण या ध्वनि निर्माण।
5. अनूदित कृति का अनुवाद करना।
6. अनूदित कृति का रूपांतरण करना।

## 12.5 कंप्यूटर प्रोग्राम और अनुवाद

कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुवाद के संबंध में प्रतिलिप्यधिकार का अर्थ सूचना क्रांति के इस युग में कंप्यूटर प्रोग्रामों का महत्व बहुत बढ़ गया है। कंप्यूटर प्रोग्राम से अभिप्रेत है शब्दों, संकेतों आदि के माध्यम से अभिव्यक्त निर्देश। कंप्यूटर के साफ्टवेयर के अंतर्गत मैनुअल, पत्र आदि आते हैं।

कंप्यूटर के संचालन के लिए बनने वाले सॉफ्टवेयर साहित्यिक कृति के अन्तर्गत आते हैं। पंच किए जाने वाले कार्डों में जो सूचना रहती है उसे भी साहित्यिक कृति ही माना जाता है। मैगनेट टेप, डिस्क तथा फ्लापी, जिसमें सूचनाएँ संगृहीत होती हैं, साहित्यिक कृति कहलाती है। जब इनमें से किसी साफ्टवेयर आदि का अनुवाद किया जाना हो तो इसके प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी से अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से आवेदन कर अनुवाद के लिए लाइसेंस लेना होता है। जिस व्यक्ति से अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से आवेदन कर अनुवाद के लिए लाइसेंस लेना होता है। जिस व्यक्ति के पास उस साफ्टवेयर के अनुवाद और प्रकाशन की अनुमति अथवा लाइसेंस होता है उसे इसके संबंध में निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं :

1. वह कंप्यूटर प्रोग्राम का अनुवाद कर उसका प्रकाशन कर सकता है अथवा उसका किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संग्रहण कर सकता है।
2. उसको सार्वजनिक रूप से जारी कर सकता है।
3. उसकी सार्वजनिक प्रस्तुति अथवा उसका संप्रेषण कर सकता है।
4. उस पर फिल्म का निर्माण अथवा ध्वनि रिकॉर्डिंग कर सकता है।
5. उसका अनुवाद कर सकता है।
6. उसका रूपांतरण कर सकता है।
7. उस कृति को किराए पर दे सकता है।
8. उसका विक्रय कर सकता है।
9. उसे वाणिज्यिक किराए पर दे अथवा बेच सकता है।

इससे पता चलता है कि प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को कृति विशेष के संबंध में कोई एक अधिकार नहीं, बल्कि अधिकारों का एक पुलिंदा होता है। इनमें से कुछ अधिकार समनुदेशन या चिरभोग के माध्यम से दूसरों को दे दिए जाने के पश्चात भी शेष अधिकार प्रतिलिप्यिधिकार स्वामी में ही निहित रहते हैं।

## 12.6 अनुवाद के लिए लाइसेंस (धारा 30 एवं 32)

किसी भारतीय अथवा विदेशी कृति का अनुवाद किसी भी भाषा में किया जा सकता है। लेखक को किसी कृति के प्रथम प्रकाशन के बाद सात वर्ष की अवधि तक उसके अनुवाद का अनन्य अधिकार होता है। वह इस अवधि में उस कृति का अनुवाद कर या करा सकता है और वह उसका अनुवाद नहीं भी कर या करा सकता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति उस कृति का अनुवाद करना चाहता है तो इस सात वर्ष की अवधि के भीतर उसे लेखक से अनुमति लेनी होगी। शिक्षण और शोध के लिए किसी कृति के अनुवाद के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता है। आगे के अंश में इन बातों पर विस्तार से चर्चा होगी।

## 12.7 अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेंस

किसी कृति के अनुवाद के लिए दो प्रकार के लाइसेंसों की व्यवस्था है। पहला स्वैच्छिक लाइसेंस वह है, जिसमें कोई लेखक अथवा प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अपनी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को कृति के पुनरुत्पादन, अनुवाद अथवा प्रकाशन या कि रूपांतरण के लिए दे सकता है। दूसरा, अनिवार्य लाइसेंस है, यह लाइसेंस किन्हीं स्थितियों में कोई भी व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से आवेदन कर प्राप्त कर सकता है। हम पहले स्वैच्छिक लाइसेंस के बारे में चर्चा करेंगे।

किसी प्रकाशित साहित्यिक अथवा नाट्य कृति अथवा भविष्य में प्रकाशित होने वाली साहित्यिक अथवा नाट्य कृति के अनुवाद के संबंध में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी अपनी कृति के अनुवाद के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। इसके लिए शर्त है कि अनुवाद का अधिकार भविष्य में प्रकाशित होने वाली कृति में तभी प्रभावी होगा जब कृति तैयार हो जाएगी। किसी कृति के अनुवाद के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया यह है कि कृति का लेखक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति लिखित रूप से यह लाइसेंस देगा। इस लाइसेंस पर उसके अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। तथ्य है कि मूल साहित्यिक अथवा नाट्य कृति में प्रतिलिप्यधिकार लेखक का होता है। वह चाहे तो ऐसी कृतियों के अनुवाद का अधिकार किसी व्यक्ति को दे सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुवाद के संबंध में भारतीय कृतियों के लिए लेखक का यह अधिकार कृति के प्रथम प्रकाशन से सात वर्ष तक रहता है। कोई अन्य व्यक्ति उस कृति से किसी भाषा में अनुवाद के लिए लाइसेंस हेतु प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से आवेदन उक्त अवधि बीत जाने के बाद ही कर सकता है। यदि लेखक किसी कृति के प्रथम प्रकाशन के सात वर्ष की अवधि के भीतर किसी को उस कृति के अनुवाद का लाइसेंस देता है, और कृति के प्रकाशन से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में उसके कानूनी वारिसों को उस लाइसेंस से होने वाले लाभ मिलेंगे अर्थात् उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन से मिलने वाली रॉयल्टी उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगी।

## 12.8 प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेंस

किसी साहित्यिक एवं नाट्य कृति के प्रथम प्रकाशन के सात वर्ष के भीतर यदि उस कृति के आवेदन पत्र में उल्लिखित भाषा में अनुवाद प्रकाशित न किया हो तो कोई अन्य व्यक्ति उस अवधि के भीतर भी उस कृति के अनुवाद के लाइसेंस के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, उस कृति के प्रथम प्रकाशन की सात वर्ष की अवधि के भीतर उस कृति के उस भाषा में अनुवाद और प्रकाशन के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।

## 12.9 लाइसेंस की शर्तें

किसी मूल साहित्यिक एवं नाट्य कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेंस के लिए आवेदन करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। आवेदक को एक निर्धारित प्रपत्रा–2 में आवेदन करना होता है। उसे उस प्रपत्र को विधिवत् भर लेने के बाद कुछ शर्तों का अनुपालन करना होता है:

- किसी कृति के प्रथम प्रकाशन के सात वर्ष की अवधि के भीतर यदि कोई व्यक्ति उस कृति के अनुवाद का लाइसेंस लेना चाहता है तो आवेदक को प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष यह सिद्ध करना होता है कि उन्होंने इस कृति के लेखक अथवा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी से उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए प्राधिकृत करने का अनुरोध किया था किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

- अनुवादक ने अपनी ओर से प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का पता लगाने का समुचित प्रयास किया, किंतु जानकारी हासिल करने में सफलता नहीं मिल सकी। उस स्थिति में उन्होंने उस प्रकाशक को, जिसका नाम कृति पर प्रकाशित है, पंजीकृत डाक से उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए उन्हें प्राधिकृत करने हेतु अनुरोध पर उन्हें उस कृति के अनुवाद के लिए प्राधिकृत नहीं किया। यदि आवेदक इन बातों को सिद्ध कर देता है तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड उसे नियमानुसार लाइसेंस जारी कर सकता है।

### शिक्षण अथवा शोध के लिए अनुवाद का लाइसेंस (धारा 32)

यदि किसी विदेशी साहित्यक अथवा नाट्य कृति का शिक्षण, ज्ञान अथवा शोध के लिए अनुवाद और प्रकाशन किया जाना हो तो उसके लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसा आवेदन उस विदेशी कृति के प्रथम प्रकाशन के तीन वर्ष के बाद किया जा सकता है। यदि यह अनुवाद एवं प्रकाशन किसी ऐसी भाषा में किया जाना है जो किसी विकसित देश में आम प्रयोग में नहीं है तो उस कृति के प्रथम प्रकाशन के एक वर्ष के बाद भी उसके अनुवाद और प्रकाशन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

शिक्षण, ज्ञान अथवा शोध के लिए किसी विदेशी कृति के अनुवाद और प्रकाशन का लाइसेंस लेने हेतु कुछ शर्तों का अनुपालन आवश्यक होता है:

- आवेदक कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को निर्धारित रॉयल्टी देगा। रॉयल्टी बेची गई अनूदित कृति की प्रत्येक प्रति पर दी जाएगी। इस रॉयल्टी का निर्धारण प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा निर्धारित रीति से किया जाएगा।

- उक्त विदेशी अनूदित कृति का निर्यात नहीं किया जाएगा और अनूदित कृति की प्रत्येक प्रति पर यह सूचना प्रकाशित की जाएगी कि 'कृति केवल भारत में वितरण के लिए है।' यदि अनुवाद की भाषा जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी से इतर हो तो उस अनूदित कृति का सरकार अथवा सरकार के अंतर्गत किसी प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों अथवा उनके संघों के लिए निर्यात किया जा सकता है। परंतु वह निर्यात शिक्षण, शोध आदि के लिए किया जा सकता है। किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उसका निर्यात नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, निर्यात के लिए उस देश की सरकार से अनुमति भी ली जानी होगी।

- इसके अलावा, किसी कृति के प्रकाशन के तीन वर्ष के भीतर अथवा एक वर्ष के भीतर भी, जैसा भी मामला हो, यदि उसके प्रतिलिप्यधिकार स्वामी ने उसका अनुवाद प्रकाशित न किया हो, अनुवाद प्रकाशित किया हो, किंतु उसकी प्रतियाँ समाप्त हो गई हों, तो कोई व्यक्ति उसके अनुवाद और प्रकाशन के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड

से लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर सकता है।

- इसके लिए आवेदक को प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष यह सिद्ध करना होगा कि उसने प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए प्राधिकृत करने का अनुरोध किया था, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, अथवा उसने ऐसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता लगाने का समुचित प्रयास किया, किंतु जानकारी हासिल करने में सफलता नहीं मिल सकी।

- जहाँ आवेदक उस कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता नहीं लगा सका, उस स्थिति में उन्होंने कृति पर प्रकाशित प्रकाशक को पंजीकृत हवाई डाक से उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए उसे प्राधिकृत करने हेतु अनुरोध–पत्र भेजा था और उस अनुरोध–पत्र को भेजे हुए छह महीने की अवधि हो गई है अथवा एक वर्ष की अवधि के प्रतिलिप्यधिकार स्वामित्व वाली कृति के संबंध में उसे ऐसा अनुरोध किए हुए नौ महीने की अवधि हो गई है। छह महीने अथवा नौ महीने की अवधि, जैसा भी मामला हो, में भी प्रतिलिप्यधिकार स्वामी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति ने उस कृति का उनके आवेदन पत्र में उल्लिखित भाषा में अनुवाद प्रकाशित नहीं किया है। लेखक ने कृति की प्रतियों को परिचालन से वापस ले लिया है। उस स्थिति में प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड आवेदक को उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन का लाइसेंस जारी कर सकता है।

### आवेदन पत्र का नोटिस जारी करना

जब प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को किसी कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होगा तो वह यथाशीघ्र उस आवेदन पत्र की नोटिस शसकीय राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा और अगर वह उचित समझेगा तो इस नोटिस को एक अथवा दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराएगा। इसके अलावा, यदि संभव हो तो प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को भी उसकी सूचना भेजी जाएगी। इस प्रकार भेजे जाने वाले नोटिस में निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाएगा :

- आवेदन पत्र की तारीख
- आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
- अनुवाद की जाने वाली कृति का विवरण
- कृति के प्रथम प्रकाशन की तिथि तथा देश का नाम
- आवेदन पत्र में वर्णित प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का नाम, पता और राष्ट्रीयता
- उस भाषा का नाम जिसमें अनुवाद किया जाना है
- प्रतिलिप्यधिकार राजिस्टर में दर्ज पंजीकृत संख्या, यदि कोई हो।

इस नोटिस के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 120 दिन के बाद ही प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड उस आवेदन पत्र पर विचार करेगा। उससे पहले उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

## 12.10 प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड लाइसेंस देने से पहले भली–भाँति सुनिश्चित कर लेगा कि :

- आवेदक उस कृति का सही अनुवाद करने तथा उसका प्रकाशन करने हेतु सक्षम है

और उसके पास प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को रॉयल्टी देने के साधन मौजूद हैं।

- इसके साथ ही लाइसेंस देने से पहले यदि संभव हो तो प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
- लाइसेंस मिलने पर आवेदक अनुवाद की गई कृति की हर प्रकाशित प्रति पर लेखक का नाम तथा पुस्तक का शीर्षक प्रकाशित करेगा।
- यह भी उल्लेखनीय है कि जिन कृतियों का शोध के प्रयोजनों के लिए अनुवाद किया जाता है, उसमें औद्योगिक शोध शामिल नहीं है।
- शिक्षण, ज्ञान, शोध आदि प्रयोजनों में शिक्षा संस्थानों, जिनमें स्कूल, कॉलेज विश्वविद्यालय, शामिल हैं, में सभी स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था करना शामिल है।

## 12.11 लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया

किसी विदेशी कृति के शिक्षण और शोध के लिए अनुवाद और प्रकाशन हेतु प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेंस के आवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित रूप से आवेदन पत्र तैयार करना होता हैः

- आवेदन पत्र प्रपत्र–2 में विधिवत् भरकर प्रस्तुत किया जाएगा।
- आवेदन पत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।
- आवेदन पत्र केवल एक कृति के अनुवाद के लिए तथा उसके एक ही भाषा में अनुवाद के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- आवेदन पत्र के साथ निर्धारित लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। आवेदन पत्र के संबंध में आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाएँगे।

**अप्रकाशित भारतीय कृतियों के अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेंस (धारा 31)**

किसी लेखक ने अपने परिश्रम, कौशल, समय और पूँजी से किसी कृति की रचना और उसके प्रकाशन से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई; इसी तरह किसी कृति के रचनाकार का पता न लग पाए; तो वह कृति लोगों तक पहुँचनी चाहिए। रचनाकार की मृत्यु की स्थिति में यदि परिवार वाले उस अप्रकाशित कृति का प्रकाशन अथवा उसका अनुवाद करा कर प्रकाशन करा देते हैं तो उस कृति में निहित ज्ञान अथवा भाव संपदा से लोग परिचित हो सकते हैं। यदि परिवार वाले उस कृति का प्रकाशन नहीं कराते, जैसा कि आम तौर पर होता है, उस स्थिति में सरकार को यदि प्रतीत होता है कि उस अप्रकाशित कृति के अनुवाद प्रकाशन आदि का कार्य राष्ट्रीय हित में है, तो सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह परिवार वालों को एक निश्चित अवधि में उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन का निर्देश दे।

यदि मृत लेखक के कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि आदि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उस कृति का अनुवाद और प्रकाशन नहीं करते हैं तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

भारत के ऐसे किसी लेखक की कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को देश के प्रमुख भागों में बिकने वाले अंग्रेजी के किसी दैनिक समाचार पत्र में उस कृति के अनुवाद तथा प्रकाशन के प्रस्तावों की सूचना को

प्रकाशित करवाना होता है। इसके साथ ही उसे उस भाषा के समाचार पत्र में भी उस सूचना को प्रकाशित करवाना होता है जिसमें उस अप्रकाशित कृति का अनुवाद किया जाना हो। इस प्रकार, समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का उद्देश्य यह है कि यदि लेखक अज्ञात है अथवा कृति का प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता नहीं मालूम है तो समाचार पत्र पढ़ने के बाद लेखक अथवा प्रतिलिप्यधिकार स्वामी आगे आ कर अपना दावा पेश करे। आवेदन पत्र के साथ ऐसे समाचार पत्रों की प्रतियाँ संलग्न करने के अतिरिक्त प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के पास निर्धारित लाइसेंस फीस भी जमा करानी होती है।

### भारतीय कृतियों के अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेंस (धारा 31)

यदि किसी कृति के रचनाकार अथवा प्रतिलिप्यधिकार स्वामी कृति अथवा अनूदित कृति के पुनर्प्रकाशन की अनुमति न दे, तो यह कृति को जनता से निर्धारित माना जाता है, अर्थात् जनता तक कृति की पहुँच पर रोक। जबकि तथ्य है कि जनता तक कृति की पहुँच ही हर रचना का उद्देश्य होता है। कई बार लेखक अपनी कृति के पुनर्प्रकाशन का सीधा इनकार न कर अनुचित माँग रख देते हैं। उस तरह की अनुचित माँग भी लेखक का इनकार ही माना जाएगा।

यदि किसी साहित्यिक, नाट्य अथवा संगीत संबंधी भारतीय कृति (भारतीय कृति का अर्थ है जिस कृति का लेखक भारत का नागरिक हो अथवा उस कृति का प्रथम प्रकाशन भारत में हुआ हो) का प्रकाशन किया अथवा उसकी सार्वजनिक प्रस्तुति की गई, और उसके पुनर्प्रकाशन अथवा पुनः सार्वजनिक प्रस्तुति की अनुमति किसी अन्य व्यक्ति को देने से प्रतिलिप्यधिकार स्वामी ने इनकार कर दिया, जिस कारण वह कृति जनता से विधारित हो गई, अर्थात् वह जनता तक नहीं पहुँच रही – ऐसी स्थिति में प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड उक्त अनिवार्य लाइसेंस जारी करता है। इसी प्रकार, यदि कोई प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अधिमान्य समुचित शर्तों के साथ किए गए अनुरोध के बावजूद किसी प्रसारण अथवा ध्वनि रिकॉर्डिंग के संप्रेषण से इनकार कर दे, तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड ऐसे प्रसारण अथवा ध्वनि रिकॉर्डिंग के संप्रेषण के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकता है।

### आवेदन पत्र पर विचार करने की प्रक्रिया

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के पास किसी अप्रकाशित कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लाइसेंस के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के साथ तीन प्रतियों में विहित प्रपत्र–2 में आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो प्रतिलिप्यधिकार वोर्ड उस पर विचार आंरभ करता है। सर्वप्रथम, उस कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को उस आवेदन पत्र की एक प्रति पंजीकृत डाक से भेजी जाती है। कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अज्ञात हो अथवा उनका पता न लगाया जा सका हो तो उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार में किसी प्रकार के अधिकार का दावा करने वालों के लिए शासकीय राजपत्र में नोटिस प्रकाशित करवाया जाता है। उस व्यक्ति की सुनवाई करने और उससे उचित साक्ष्य लेने के बाद ही उचित निर्णय लिया जाता है। आवेदक को रॉयल्टी की राशि भारत के किसी लोक लेखा में एक निर्धारित अवधि के लिए जमा करना होता है। यदि उस अवधि के दौरान लेखक अथवा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का पता चलता है तो वह लेखक अथवा प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अथवा उसके कानूनी उत्तराधिकारी अथवा कानूनी प्रतिनिधि रॉयल्टी के लिए दावा कर सकता है। प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड लाइसेंस देने से पहले कुछ अन्य शर्तें भी निर्धारित करता है। इस प्रकार, प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के निर्देशों के अनुसार प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार आवेदक को लाइसेंस ऐसा लाइसेंस जारी करते हुए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की जाएँगी :

- कृति के प्रकाशन की अवधि।

- कृति में प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को कृति की बेची गई हर प्रति पर देय रॉयल्टी की दर।
- अनुवाद और प्रकाशन की भाषा।
- उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम जिन्हें रॉयल्टी दी जानी होगी।

इस प्रकार प्रदान किए गए लाइसेंस की सूचना यथाशीघ्र सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी तथा लाइसेंस की एक प्रति दूसरे पक्षकार को भेज दी जाएगी।

### शिक्षा के लिए कृतियों के अनुवाद का लाइसेंस

जब किसी साहित्यक, वैज्ञानिक अथवा अन्य कला कृति के प्रथम कृति के प्रथम प्रकाशन के बाद निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उस कृति के संस्करण की प्रतियाँ भारत में उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा छह महीने के बाद भी आम जनता के लिए अथवा शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध नहीं होती हैं, या कि प्रतियाँ भारत में उसी मूल्य पर उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं जिस पर उसी विषय में उसी स्तर की कृति बेची जाती है तो कोई भी व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से ऐसी कृति के हैं तो वह उस प्रकाशन को उस मूल्य पर अथवा उससे कम मूल्य पर बेचेगा जिस मूल्य पर उसी प्रकार का संस्करण शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए बेचा जाता है।

### अनुवाद की भाषा

यदि अनुवाद के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ने उस कृति का अनुवाद ऐसी भाषा में किया है जो भारत में आम प्रयोग में नहीं है तो उसके अनुवाद के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। उदाहरणार्थ किसी जर्मन कृति का फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया गया है तो भारत में ऐसी कृति के पुनरुत्पादन और प्रकाशन का किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा क्योंकि फ्रांसीसी भाषा यहाँ आम प्रयोग में नहीं है। किंतु इसी जर्मन कृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है और उसकी प्रतियाँ भारत में उपलब्ध नहीं कराई गई हैं तो उसके पुनरुत्पादन और प्रकाशन का लाइसेंस जारी किया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा भारत में आम प्रयोग में है।

### पुनरुत्पादन के लिए निर्धारित अवधि

कथा साहित्य, काव्य, नाटक, संगीत तथा कला कृतियों की स्थिति में कृति के प्रथम प्रकाशन के सात वर्ष बाद पुनरुत्पादन और प्रकाशन के लिए लाइसेंस लिया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित अथवा प्रौद्योगिकी विषय की कृतियों की स्थिति में यह अवधि तीन वर्ष की होती है और अन्य कृतियों के मामले में यह अवधि पाँच वर्ष की होती है। यह लाइसेंस अनन्य नहीं होगा। आवेदक को बेची गई प्रत्येक प्रति पर रॉयल्टी देनी होगी। रॉयल्टी की दर प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा निर्धारित रीति से तय की जाएगी। उस कृति का भारत के बाहर निर्यात नहीं किया जाएगा।

- लाइसेंस जारी करने से पहले प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड, अपना समाधान करेगा कि आवेदक कृति का सही अनुवाद और प्रकाशन करने में सक्षम है और उसके पास प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को निर्धारित रॉयल्टी देने के साधन हैं।
- आवेदक उस कृति को प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचेगा।
- लाइसेंस जारी करने से पहले यदि संभव हो तो प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

## 12.12 प्रसारण प्राधिकरण और अनुवाद का लाइसेंस

आजकल बड़े पैमाने पर प्रसारण प्राधिकरण वजूद में आ रहे हैं और उन्हें शिक्षण और शोध संबंधी उद्देश्यों के लिए कृतियों और अनुवादों की आवश्यकता होती है। उन्हें बड़े पैमाने पर श्रव्य–दृश्य माध्यमों से प्रसारण करना होता है। अतः उन्हें भी यह अधिकार दे दिया गया है कि वह शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए विदेशी कृतियों के अनुवाद करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेंस ले सके।

यह अनुवाद शिक्षण अथवा किसी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञों के किसी विशेषीकृत, तकनीकी अथवा वैज्ञानिक शोध के परिणामों के प्रसारण के लिए होगा। अनुवाद आदि के लाइसेंस के लिए प्रसारण प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। उसे उस आवेदन पत्र के साथ निर्धारित फीस जमा करानी होगी।

### अनूदित कृति का निर्यात

अंग्रेजी, फ्रांसीसी अथवा स्पेनिश से इतर भाषा की किसी कृति की अनूदित एवं प्रकाशित कृति का सरकार अथवा सरकार के अंतर्गत किसी प्राधिकरण द्वारा निर्यात किया जा सकता है, यह निर्यात भारत के बाहर रहने वाले भारतीय को अथवा उनके संघों को किया जा सकता है। इन कृतियों का प्रयोग वहाँ शिक्षण और शोध के प्रयोजन के लिए किया जाएगा, किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं। वैसे भी निर्यात के लिए उस देश की सरकार की अनुमति ली जानी होगी।

### लाइसेंस के लिए आवेदन

यदि किसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी ने प्रथम प्रकाशन के तीन वर्ष के भीतर आवेदन पत्र में उल्लिखित भाषा में उसका अनुवाद और प्रकाशन न किया हो अथवा अनुवाद प्रकाशित तो किया हो किंतु उसकी प्रतियाँ समाप्त हो गई हों, तो प्रसारण प्राधिकरण प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

इसके लिए आवेदन प्रसारण प्राधिकरण की ओर से प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आश्वस्त करना होगा कि उन्होंने प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन हेतु प्राधिकृत करने के लिए अनुरोध किया था किंतु प्रतिलिप्यधिकार स्वामी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है अथवा समुचित प्रयास के बावजूद वे प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता नहीं लगा सके।

जहाँ प्रसारण प्राधिकरण ऐसे प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता नहीं लगा सका, उस स्थिति में उसने कृति पर प्रकाशित प्रकाशक को पंजीकृत डाक से उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए उन्हें प्राधिकृत करने के लिए अनुरोध–पत्र भेजा था और उस अनुरोध–पत्र को भेजे हुए छह महीने की अवधि अथवा यथास्थिति नौ महीने की अवधि हो गई है और इस अवधि में प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अथवा उनके द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति ने इस कृति का आवेदन में उल्लिखित भाषा में अनुवाद नहीं किया है, उस स्थिति में प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड प्रसारण प्राधिकरण को उस कृति के अनुवाद एवं प्रकाशन का लाइसेंस जारी कर देगा। उसके लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा :

- अनुवाद विधिवत उपलब्ध कृति से किया जाएगा।
- प्रसारण श्रव्य तथा दृश्य रिकॉर्डिंग के माध्यम से किया जाएगा।

- प्रसारण एजेंसी द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग विधिवत केवल भारत में प्रसारण के लिए की जाएगी।
- अनुवाद और प्रसारण किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से नहीं किया जाएगा।

## 12.13 रूपांतरण का अर्थ

किसी कृति का रूपांतरण स्पष्टतः एक नई साहित्यिक कृति का दर्जा पा लेता है। जो व्यक्ति रूपांतरण करता है वह उसका रचनाकार होता है। रूपांतरण की गई कृति में उसके रचनाकार, अर्थात् रूपांतरणकर्ता का प्रतिलिप्यधिकार होता है। अन्य लेखकों की भाँति उस कृति में रचनाकार का उसके जीवन काल के दौरान प्रतिलिप्यधिकार रहता ही है, यह प्रतिलिप्यधिकार उसकी मृत्यु के बाद साठ वर्ष तक रहता है। इन साठ वर्षों की गणना लेखक की मृत्यु के वर्ष से अगले कैलेंडर वर्ष से की जाती है। यदि रूपांतरण की गई कृति के प्रकाशन से पहले रचनाकार की मृत्यु हो जाए, तो प्रतिलिप्यधिकार कृति के प्रकाशन के बाद साठ वर्ष तक रहेगा और इन साठ वर्षों की गणना प्रकाशन वर्ष के अगले कैलेंडर वर्ष से की जाएगी।

यदि किसी साहित्यिक, नाट्य अथवा संगीत रचना की रूपांतरण की गई कृति की सार्वजनिक प्रस्तुति की जाती है अथवा ऐसी कृति की कोई ध्वनि रिकॉर्डिंग जनता को बेची जाती है तो उसे भी उसका प्रकाशन समझा जाता है और प्रतिलिप्यधिकार की अवधि उस सार्वजनिक प्रस्तुति अथवा ध्वनि रिकॉर्डिंग की बिक्री के समय से मानी जाएगी। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अंतर्गत रूपांतरण की दी गई परिभाषा के अनुसार रूपांतरण का अर्थ है:

- किसी नाट्य कृति को नाट्येतर कृति में परिवर्तित करना।
- किसी साहित्यिक अथवा कला कृति को नाट्य कृति में परिवर्तित कर उसकी सार्वजनिक प्रस्तुति करना।
- किसी साहित्यिक अथवा नाट्य कृति का संक्षिप्तीकरण अथवा उसकी कथा का पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से ऐसे चित्रों के माध्यम से संक्षेपण करना, जिन्हें पुस्तक रूप में अथवा समाचार पत्र, पत्रिका आदि में प्रकाशित किया जा सके।
- किसी संगीत रचना का रूपांतरण अथवा उसका प्रतिलेखन करना।

किसी कृति का रूपांतरण एक मूल साहित्यिक कृति हो जाती है। इसलिए उसमें भी मूल साहित्यिक कृति की भाँति उसके रचनाकार का प्रतिलिप्यधिकार होता है। उसके पुनरुत्पादन और प्रकाशन के लिए प्रतिलिप्यधिकार स्वामी से अनुमति लेनी होगी अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेंस लेना होगा।

### अनुवाद के संबंध में लाइसेंस समाप्त या रद्द करना (32 ख)

उल्लेखनीय है कि किसी विदेशी साहित्यिक अथवा नाट्य कृति के प्रथम प्रकाशन के तीन वर्ष की अवधि के बाद शिक्षण और शोध के लिए भारत में प्रयुक्त किसी सामान्य भाषा में उस कृति के अनुवाद, मुद्रण अथवा किसी अन्य रूप में पुनरुत्पादन के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड न केवल लाइसेंस देता है, बल्कि वह उसे रद्द कर दिए जाएँगे। इसमें शर्त यही है कि इसके लिए अनुवाद के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी उस लाइसेंसधारी को उस कृति के उसी भाषा में अनुवाद के बारे में निर्धारित प्रपत्र में नोटिस भेजे। नोटिस

प्राप्त होने के तीन महीने की अवधि के बाद ही यह लाइसेंस रद्द माना जाएगा। लाइसेंस के रद्द होने की स्थिति में लाइसेंसधारी द्वारा अनूदित और प्रकाशित लाइसेंसशुदा कृति की प्रतियों की बिक्री अथवा वितरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसकी सारी प्रतियाँ समाप्त नहीं हो जातीं।

### लाइसेंस रद्द करने के अन्य आधार

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड लाइसेंसधारी को जारी लाइसेंस अन्य आधारों पर भी रद्द कर सकता है। प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा किसी कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए जारी लाइसेंस में इस बात का उल्लेख रहता है कि लाइसेंसधारी को लाइसेंसशुदा कृति का अनुवाद और प्रकाशन कितनी अवधि में करना है। जब कोई लाइसेंसधारी लाइसेंसशुदा कृति का निर्धारित अवधि में अनुवाद और प्रकाशन न कर पाए तो उस लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। लाइसेंसधारी उस लाइसेंस की अवधि बढ़ाने के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन कर सकता है। उस स्थिति में लाइसेंसधारी के आवेदन पर विचार किया जाता है और जहाँ संभव होता है, लाइसेंसशुदा कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को सूचना जारी की जाती है। यदि लाइसेंसधारी अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में लाइसेंसशुदा कृति का अनुवाद और प्रकाशन नहीं कर पाता तो वह अवधि समुचित तक्र से बढ़ाई जा सकती है। यदि लाइसेंसधारी बढ़ाई गई अवधि में भी लाइसेंसशुदा कृति का अनुवाद और प्रकाशन नहीं कर पाता तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड उस लाइसेंस को रद्द कर सकता है।

अगर यह पता चलता है कि धोखे से अथवा किसी जरूरी तथ्य को गलत बता कर लाइसेंस लिया गया है तो भी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तब भी प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा लाइसेंसधारी की सुनवाई करने के बाद उस लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।

## 12.14 प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन और दंड

विदित है कि किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीत आदि कृति का अनुवाद स्वयं एक स्वतंत्र कृति का दर्जा प्राप्त कर लेती है। किसी साहित्यिक कृति के अनुवाद में अनुवादक को पर्याप्त कौशल, श्रम और समय लगाना पड़ता है, इसलिए अनूदित कृति को साहित्यिक कृति का दर्जा मिल जाता है और अनुवादक को उसमें प्रतिलिप्यधिकार होता है। ऐसी अनूदित कृति का किसी भाषा में अनुवाद अथवा प्रकाशन उस कृति के अनुवादक अर्थात प्रतिलिप्यधिकार स्वामी की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेंस के बिना अनुवाद, अथवा प्रकाशन करता है तो उस स्थिति में प्रतिलिप्यधिकार संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लेघन करना भी प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन माना जाएगा।

### प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन का अभिप्राय

कृति का किसी भाषा में अनुवाद होते ही उस अनुवाद पर अनुवादक का प्रतिलिप्यधिकार हो जाता है। कृति के अनुवादक की मृत्यु के साठ वर्ष बाद के अगले कैलेंडर वर्ष से ही वह अनूदित कृति प्रतिलिप्यधिकार से मुक्त मानी जाएगी। हाँ, अगर उस अनुवाद से आगे किसी अन्य भाषा में अनुवाद करना हो तो उसके लिए प्रतिलिप्यधिकार की अवधि सात वर्ष की होगी। सात वर्ष की अवधि के बाद अगर उस कृति का अनुवाद करना हो तो उसके लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेंस लेना होगा।

### प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन पर दंड

यदि कोई जानबूझ कर किसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन करता है या अतिलंघन का दुष्प्रेरक बनता है तो उसे छह महीने से तीन वर्ष तक का कारावास और पचास हजार से दो लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। कारावास की अवधि छह महीने से कम और जुर्माना पचास हजार रुपए से कम भी हो सकता है, पर इसके लिए न्यायालय को अपने निर्णय में पर्याप्त एवं विशेष कारण बताने होंगे।

कंपनी द्वारा प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन करने पर उस कंपनी के प्रभारी एवं कंपनी के संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्व कार्यवाही की जा सकती है। प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन के मामले मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे के न्यायालय में दर्ज नहीं किए जा सकेंगे अर्थात यह मामले उन्हीं के न्यायालय में दर्ज किए जा सकेंगे।

ऐसे न्यायालय के निर्णय के विरुद्व यह निर्णय आने के तीस दिन के भीतर अपील की जा सकती है और अपील दाखिल करने पर अपील की सुनवाई एवं निपटारा होने तक अपीलीय न्यायालय निर्णय का कार्यान्वयन स्थगित कर सकता है।

इसी प्रकार, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार एवं प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को एक सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त होते हैं।

## 12.15 सारांश

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अनुसार कानून किसी व्यक्ति के कौशल, श्रम, समय एवं पूँजी से तैयार किसी वस्तु का अनुमति लिए बिना किसी अन्य व्यक्ति को लाभ उठाने की इज़ाजत नहीं देता। जिस व्यक्ति ने जो कृति अपने परिश्रम एवं कौशल से तैयार की है, उस पर उसी का अधिकार होता है। किसी कृति का रचनाकार उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी होता है। अतः प्रतिलिप्यधिकार कानून किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार की रक्षा और उसके अतिलंघन पर दंड की व्यवस्था करता है। विश्व की भाषाओं में परस्पर आदान–प्रदान में वृद्धि के कारण प्रतिलिप्यधिकार कानून में अनुवाद और रूपांतरण के संबंध में कई नए प्रावधान किए गए हैं। अब किसी कृति के रचनाकार से बिना उसकी अनुमति लिए अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से बिना लाइसेंस लिए किसी कृति का अनुवाद अथवा रूपांतरण नहीं किया जा सकता। अनुवाद अथवा उसके प्रकाशन के लिए समूचे भारत में मौलिक साहित्यिक, नाट्य, संगीत एवं कला कृति, सिने फिल्म, ध्वनि निर्माण, कंप्यूटर प्रोग्राम आदि कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार होता है। किसी कृति अथवा रचना का अनुवाद अथवा रूपांतरण करना हो तो सर्वप्रथम, इस बात का पता लगाना होगा कि उस रचना विशेष का रचनाकार कौन है? यह भी पता लगाने की जरूरत होती है कि किसी कृति विशेष का प्रतिलिप्यधिकार किसके पास है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब किसी लेखक ने किसी कृति में अपने प्रतिलिप्यधिकार के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर दिया हो अथवा अपना प्रतिलिप्यधिकार किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित कर दिया हो अथवा जब लेखक या निर्माता अज्ञात हो अथवा उसकी मृत्यु हो चुकी हो। अतः जब किसी कृति का अनुवाद करना हो या रूपांतरण करना हो, तो उसके लिए विधिवत पहले अनुमति लेना जरूरी होता है। कानूनी अनुमति लिए बिना अनुवाद अथवा रूपांतरण करना प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का अतिलंघन माना जाएगा और अतिलंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

रोजगार की अवधि के दौरान किए जाने वाले कार्य में प्रतिलिप्यधिकार, नियोजक का होता है। अनुवादक के कार्य में जिस कृति को तैयार करने में श्रम, कौशल और समय लगता

है, उसे साहित्यिक कृति माना जाता है। किसी साहित्यिक, नाट्य अथवा संगीत रचना के अनुवाद की स्थिति में अनूदित कृति के पुनरुत्पादन या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संग्रहण, सार्वजनिक प्रस्तुति, रूपांतरण कंप्यूटर प्रोग्राम आदि का अधिकार अनुवादक का होता है।

किसी कृति के प्रथम प्रकाशन के सात वर्ष बाद कोई अन्य व्यक्ति उस कृति का अनुवाद करना चाहता हो तो लेखक से अनुमति लेकर अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से विहित शर्त का अनुपालन करते हुए लाइसेंस लेकर अनुवाद कर सकता है। अनूदित कृति का किसी अन्य भाषा में अनुवाद अथवा प्रकाशन अनुवादक की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेंस के बिना अनुवाद, अथवा प्रकाशन करता है, तो उस स्थिति में प्रतिलिप्यधिकार संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करना भी प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन माना जाएगा।

कृति के अनुवादक की मृत्यु के साठ वर्ष बाद के अगले कैलेंडर वर्ष से ही वह अनूदित कृति प्रतिलिप्यधिकार से मुक्त मानी जाएगी। हाँ, अगर उस अनुवाद से आगे किसी अन्य भाषा में अनुवाद करना हो तो उसके लिए प्रतिलिप्यधिकार की अवधि सात वर्ष की होगी। सात वर्ष की अवधि के बाद अगर उस कृति का अनुवाद करना हो तो उसके लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेंस लेना होगा।

जानबूझ कर किसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन करने या अतिलंघन का दुष्प्रेरक बनने वाले को छह महीने से तीन वर्ष तक का कारावास और पचास हजार से दो लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

## 12.16 अभ्यास के लिए प्रश्न

1. अनुवाद और अनुकूलन का प्रतिलिप्यधिकार किन कृतियों में होता है?
2. किसी कृति के अनुवाद के लिए किससे अनुमति लेनी होती है?
3. रोजगार के दौरान अनुवाद की गई कृति में किसका प्रतिलिप्यधिकार होता है?
4. लेखक की अनुमति के बिना अनुवाद की गई कृति में किसका प्रतिलिप्यधिकार होता है?
5. अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद हेतु रोजगार में रखे गए अनुवाद द्वारा रोजगार के घंटों में जापानी भाषा के एक भाषण का अंग्रेजी में किए गए अनुवाद पर किसका प्रतिलिप्यधिकार होगा?
6. प्रतिलिप्यधिकार को 'अधिकारों का पुलिंदा' क्यों कहा जाता है?
7. अनुवाद के लिए स्वैच्छिक लाइसेंस से क्या अभिप्राय है?
8. शिक्षण अथवा शोध के उद्देश्य से किन कृतियों के अनुवाद का लाइसेंस लिया जाता है?
9. कृति के लेखक से अनुवाद की अनुमति कितने वर्षों बाद ली जा सकती है?
10. विदेशी अनूदित कृति को किस के लिए निर्यात किया जा सकता है?
11. निर्यात हेतु उस देश की सरकार की अनुमति जरूरी है?
12. प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता न चलने पर अनुरोध पत्र किसे भेजा जाएगा?
13. अप्रकाशित भारतीय कृति के अनुवाद हेतु लाइसेंस कब लिया जा सकता है?

14. अनिवार्य लाइसेंस कौन जारी करता है?
15. सरकार कृति के अनुवाद, प्रकाशन की अनुमति क्यों देती है?
16. लेखक की मृत्यु की स्थिति में रॉयल्टी का हकदार कौन होता है?
17. रॉयल्टी का निर्धारण कौन करता है?
18. किसी भारतीय साहित्यिक कृति के अनुवाद के पुनर्प्रकाशन के लिए अनिवार्य लाइसेंस कब दिया जाता है?
19. भारतीय कृतियों से तात्पर्य क्या है?
20. प्रतिलिप्यधिकार स्वामी द्वारा कृति के प्रकाशन संबंधी 'अनुचित माँग' रखने की स्थिति में अनिवार्य लाइसेंस जारी किया जा सकता है?
21. एक से अधिक व्यक्ति का आवेदन प्राप्त होने पर प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड किस व्यक्ति को लाइसेंस देगा?
22. साहित्यिक कृतियों के अनुवाद लाइसेंस हेतु निर्धारित अवधि कितनी है?
23. भौतिक विज्ञान के अनुवाद लाइसेंस हेतु निर्धारित अवधि कितनी है?
24. शिक्षा के लिए विदेशी कृतियों के पुनरुत्पादन के लाइसेंस के लिए कब आवेदन दिया जा सकता है।
25. प्रसारण प्राधिकरण किन कृतियों के अनुवाद के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है? उक्त अनुवाद के प्रसारण के उद्देश्य क्या होंगे?
26. प्रसारण प्राधिकरण द्वारा पुनरुत्पादित कृतियों का कब निर्यात किया जा सकता है?
27. प्रसारण प्राधिकरण अनुवाद के लाइसेंस के लिए कब आवेदन कर सकते हैं?
28. अनुकूलन/रूपांतरण की गई कृति में किसका प्रतिलिप्यधिकार होता है?
29. अनुकूलित/रूपांतरण कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि कितनी होती है?
30. किस तरह की कृतियों का अनुकूलन किया जा सकता है?
31. अनुकूलन/रूपांतरण के लिए लाइसेंस किससे लेना होता है?
32. लाइसेंस कब समाप्त किया जा सकता है?
33. लाइसेंस समाप्त होने का क्या प्रभाव होता है?
34. लाइसेंस की अवधि बढ़ाई जा सकती है या नहीं?
35. धोखे से लिए गए लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है?
36. अनुवाद के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन कब होता है?
37. अतिलंघन सिद्ध होने पर क्या दंड विधान है?
38. न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कब की जा सकती है?

## 12.7 उपयोगी पुस्तकें


- *प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957।*
- मिश्र, जयप्रकाश (डॉ.), *बौद्धिक संपदा अधिकार : एक परिचय,* इलाहाबाद, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशंस।
- Bhandari, M.K., *Intelectual Property Rights*, Allahabad, Central Law Publication.

- खन्ना, संतोष,*भारतीय कानूनों का समाज शास्त्र,* दिल्ली, भारत ज्योति प्रकाशन।
- अग्रवाल, कृष्ण गोपाल, *विधि अनुवाद : विविध आयाम,* दिल्ली, संजय प्रकाशन।
- शर्मा, ब्रजकिशोर, *विधि की शब्दावली और विधि का अनुवाद,* नई दिल्ली, पीएचआई लर्निंग।


ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

## अनुवाद और रूपांतरण में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की भूमिका

### प्रपत्र 2

### अनुवाद के लिए लाइसेंस का आवेदन पत्र

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत)

(देखें नियम 6)

सेवा में,

प्रतिलिप्यधिकार पंजीयक सचिव

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड

प्रतिलिप्यधिकार, कार्यालय, नई दिल्ली

महोदय,

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 (1957 का 14वें) की धारा 32 क के अंतर्गत

- मैं यहाँ संलग्न कथन में दिए गए विवरण के अनुसार प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से कृति के अनुवाद हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा हूँ।
- यदि मुझे लाइसेंस प्रदान किया जाता है तो मैं उसकी सभी शर्तों के अनुपालन का वचन देता हूँ।

भवदीय

हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :